

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

क्रमांक / 545 / 202107201400021 / अ-82 / भू-अर्जन / 2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 16 / 02 / 2024

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

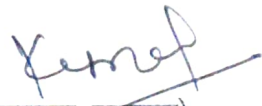
नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	फरसगांव	1. पावड़ा	02	0.865 हे०	पावड़ा-रांधना मार्ग के कि.मी. 3/7 बारदा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु।
		2. झाकरी	03	0.849 हे०	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28.02.2024 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन पावड़ा पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	पावड़ा-रांधना मार्ग के कि.मी. 3/7 बारदा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु।
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	05
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	1.714 हे.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	1117.00 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	आसपास के ग्रामीण जनों को पुल बनने से बारहमासी आवागमन की सुविधा होगी।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित दिधि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

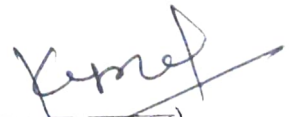

(कुनाल दुदावत)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक / 545A / 202107201400021 / अ-82 / भू-अर्जन / 2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 16/02/2024
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छठगोशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी फरसगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी फरसगांव को उपलब्ध करा दें।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी फरसगांव को उपलब्ध कराने बाबत।
6. तहसीलदार फरसगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-पावड़ा, कार्यालय जनपद पंचायत-फरसगांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।
7. सचिव ग्राम पंचायत-पावड़ा, तहसील-फरसगांव को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का ग्राम पंचायत-पावड़ा के सूचना पटल पर चस्पा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी फरसगांव के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. सामाजिक समाघात अध्ययन दल के समस्त सदस्य.....को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।


(कुनाल दुदावत)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग